

निदेशालय चिकित्सा सेवायें  
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार  
श्रम संसाधन विभाग।

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०  
निदेशक, चिकित्सा सेवायें।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा अधिकारी,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,  
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं विपत्रों में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित विपत्रों का प्रेषण।

प्रसंग- आपका पत्रांक-42-U/13/14/01/2016/SMC, दिनांक-29.10.18.  
महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक आपके द्वारा विपत्रों को पूर्णरूपेण जांच कर स्वीकृति योग्य राशि का निर्धारण कर भेजा गया है।

इस संबंध में सूचित करना है, कि दिनांक-11.02.16 को सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 13 के आलोक में आपके द्वारा जाँच कर सही पाये जाने के प्रतिवेदन के आधार पर भेजे गये 04 (चार) विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुलग्नक सहित आपके पास भेजी जा रही है। वर्णित देयकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, इसके पूर्ण जांचोपरांत ही RTGS/NEFT के माध्यम से नियमानुसार भुगतान की कार्यवाई करते हुए बीमित व्यक्ति को अपने स्तर से Email/phone/sms के माध्यम से सूचित करते हुए अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करे साथ ही साथ एडभाइस की प्रति अधोहस्ताक्षरी को Email : esis-bh@esic.in पर भी उपलब्ध करायें।

(क) पारित योग्य देयकों की सूची :-

क्र०सं०	बीमित व्यक्ति का नाम (श्री/श्रीमती)	बीमा संख्या	जाँच हेतु प्रेषित निदेशालय पत्रांक/दिनांक	जाँचोपरांत पायी गई सहमति हेतु देय राशि	अभ्युक्ति
1	रवि कुमार	4215157668	693/24.08.18	23671.00	सहमति
2	ललन कुमार सिंह	4215280247	693/24.08.18	73674.00	सहमति
3	सतीश कुमार	4201199227	693/24.08.18	12104.00	सहमति
4	सोनी कुमारी	4215581820	693/24.08.18	15895.00	सहमति
<b>कुल</b>				<b>125344.00</b>	
रुपये (एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौवालीस) मात्र					

अनु० - 04 (चार) विपत्र मूल रूप में सभी अभिलेखों के साथ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(गोपाल मीणा)

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि0-04/2016- Vol.-II 880

पटना, दिनांक- 02.11.18

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

21/11/18

निदेशक, चिकित्सा सेवायें